

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर 2014

## संकल्प

सं. 5(5)/2014-एस डी-1—संकल्प सं. एससी-1(1)/86-डी-1।। दिनांक 31 जनवरी 1986 के द्वारा तत्कालीन इस्पात एवं खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ने इस्पात एवं खान मंत्री की अध्यक्षता में एक इस्पात उपभोक्ता परिषद (एससीसी) का गठन किया गया था जिसमें सरकार, लोहा एवं इस्पात के उत्पादक और उपभोक्ता, हाऊस बिल्डर्स और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि निहित थे। एससीसी का पुनर्गठन संकल्प सं. 5(3)/2004-डी-1 दिनांक 24 मार्च, 2006, सं. 5(3)/2009-डी-1 दिनांक 25 फरवरी, 2010 और सं. 5(2)/2011-डी-1 दिनांक 14 मार्च, 2011 के तहत किया गया था। एससीसी का कार्य लोहा और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता और बाजार प्रवृत्तियों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह और सहायता प्रदान करना है।

2. संकल्प सं. 5(2)/2011-डी-1 दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा गठित इस्पात उपभोक्ता परिषद को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है और परिषद का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है:-

## क. परिषद का गठन स्वरूप:

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| (1) | माननीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार मंत्री  | अध्यक्ष    |
| (2) | माननीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  | उपाध्यक्ष  |
| (3) | सचिव, इस्पात मंत्रालय   | सदस्य      |
| (4) | संयुक्त सचिव<br>(प्रभारी, स्टील डवलपमेंट विंग),<br>इस्पात मंत्रालय और अध्यक्ष,<br>संयुक्त संयंत्र समिति | सदस्य सचिव |

## ख. निम्नलिखित भी एससीसी के सदस्य होंगे:-

- (i) भारत सरकार के निम्नलिखित प्रत्येक मंत्रालयों/विभागों से एक प्रतिनिधि:-
1. रेल मंत्रालय
  2. कोयला मंत्रालय
  3. वाणिज्य विभाग
  4. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

5. विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
  6. विद्युत मंत्रालय
  7. राजस्व विभाग
  8. खान मंत्रालय
- (ii) निम्नलिखित प्रत्येक राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से सचिव/निदेशक (उद्योग) के स्तर का एक सरकारी प्रतिनिधि
- (iii) लोहा और इस्पात के निम्नलिखित प्रत्येक उत्पादकों का एक प्रतिनिधि:-
1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
  2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
  3. टाटा स्टील लिमिटेड
  4. एस्सार स्टील लिमिटेड
  5. जे.एस.डब्ल्यू. लिमिटेड
  6. जेएसपीएल
- (iv) निम्नलिखित प्रत्येक उद्योग एसोसिएशन से एक प्रतिनिधि:-
1. ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुवाहाटी
  2. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मुम्बई
  3. ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, दिल्ली
  4. ऑल इंडिया मैनुफैक्चरर्स ओर्गनाइजेशन, कोलकाता
  5. ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग एसोसिएशन, गाजियाबाद
  6. ऑल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
  7. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थाने
  8. अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, (पंजाब) लुधियाना
  9. एसोशिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
  10. एसोसिएशन ऑफ इंडियन मिनी ब्लास्ट फर्नेस, नई दिल्ली
  11. एसोसिएशन ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री, पुणे
  12. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
  13. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
  14. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नई दिल्ली
  15. कास्ट आयरन स्पंज पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, कोलकाता
  16. चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल फास्टनर्स, एसोसिएशन, चंडीगढ़
  17. कोल्ड-रोल्ड स्टील मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

18. कन्फीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली
19. काउंसिल ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
20. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली
21. फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
22. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
23. फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, दिल्ली
24. हावडा फाउंड्री एसोसिएशन, हावडा
25. इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स, कोलकाता
26. इंडियन फैरोअलॉय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मुम्बई
27. इंडियन फाउंड्री एसोसिएशन, कोलकाता
28. इंडियन स्टेनलैस स्टील डवलपमेंट एसोसिएशन, गुडगांव
29. इंडियन टिन प्लेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
30. आयरन एंड स्टील स्क्रैप शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई
31. इंस्टीट्यूट फोर स्टील डवलपमेंट एंड ग्रोथ, कोलकाता
32. लारसेन एंड टबरो लिमिटेड, चेन्नई
33. मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता
34. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता
35. मुम्बई ब्राइट बार मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई
36. नेशनल को-ऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, नई दिल्ली
37. शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, (इंडिया), भाव नगर
38. स्मॉल स्केल वॉयर ड्राइंग यूनिट्स एसोसिएशन, मुम्बई
39. सोसाइटी फोर इंडियन ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
40. स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
41. स्टील चैम्बर ऑफ इंडिया, मुम्बई
42. स्टील फर्नेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
43. स्टील रिरोलिंग मिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
44. स्टील वॉयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कोलकाता
45. लुधियाना इलैक्ट्रोप्लेटर्स एसोसिएशन, लुधियाना
46. यूनाइटेड साइकिल्स एंड पार्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, लुधियाना

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, एससीसी में प्रत्येक राज्य से इस्पात उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में दो गैर सरकारी सदस्य और प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें माननीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।



4. माननीय इस्पात, खान, श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के रूप में प्रमुख मीडिया और विशेषज्ञों से भी कुल 10 प्रतिनिधि नामित किए जा सकते हैं।

5. इस परिषद का कार्यकाल अध्यक्ष के इस्पात मंत्री के रूप में बने रहने अथवा इस संकल्प की तिथि से दो वर्ष, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विशेष रूप से घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाता है। एसएससी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें करेगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

सय्यदैन अब्बासी  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 30th September 2014

## RESOLUTION

No. 5(5)/2014-SDI—Vide Resolution No. SC-1(1)/86-D-III dated 31<sup>st</sup> January, 1986, the then Ministry of Steel & Mines (Department of Steel) had constituted a Steel Consumers' Council (SCC) under the chairmanship of Minister of Steel & Mines consisting of representatives of the Government, Producers and Consumers of Iron and Steel, House Builders and related industries. The SCC was re-constituted vide Resolutions No. 5(3)/2004-DI dated the 24<sup>th</sup> March, 2004, No. 5(3)/2009-D-I dated 25<sup>th</sup> February, 2010 and No. 5(2)/2011-D-I dated the 14<sup>th</sup> March, 2011. The functions of the SCC are to advise and assist the Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trends of iron and steel.

2. The Steel Consumers' Council constituted vide Resolution No. 5(2)/2011-D-I dated the 14<sup>th</sup> March, 2011 dissolved with immediate effect and the Council is reconstituted as under:-

## (A) COMPOSITION

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (1) | Hon'ble Minister for Steel, Mines and Labour & Employment  | Chairman         |
| (2) | Hon'ble Minister of State for Steel, Mines and Labour & Employment   | Vice Chairman    |
| (3) | Secretary, Ministry of Steel   | Member           |
| (4) | Joint Secretary (In-charge of Steel Development Wing), Ministry of Steel and Chairman, Joint Plant Committee | Member-Secretary |

## (B) The following also shall be the Members of the SCC:—

## (i) One representative each from the following Ministries/Departments of the Government of India:-

1. Ministry of Railways
2. Ministry of Coal
3. Department of Commerce
4. Department of Industrial Policy & Promotion
5. Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises
6. Ministry of Power
7. Department of Revenue
8. Ministry of Mines;

## (ii) One official representative each from the State Governments/Union Territories of the level Secretary/Director (Industry);

## (iii) One representative each of the following Producers of Iron and Steel:-

1. Steel Authority of India Limited,
2. Rashtriya Ispat Nigam Limited
3. Tata Steel Limited

4. ESSAR Steel Limited
5. J S W Limited.
6. JSPL

(iv) . One representative each of the following Industry Associations:-

1. All Assam Small Scale Industries Association, Guwahati
2. All India Association of Industries, Mumbai
3. All India Induction Furnace Association, Delhi.
4. All India Manufacturers' Organization, Kolkata.
5. All India Metal Forging Association, Ghaziabad.
6. All India Steel Re-rollers Association, New Delhi.
7. Alloy Steel Producers' Association of India, Thane
8. Apex Chamber of Commerce & Industry (Punjab), Ludhiana
9. Associated Chambers of Commerce & Industry of India, New Delhi
10. Association of Indian Mini Blast Furnace, New Delhi.
11. Association of Indian Forging Industry, Pune.
12. Automotive Component Manufacturers' Association of India, Mumbai.
13. Builders Association of India, Mumbai.
14. Bureau of Indian Standards, New Delhi
15. Cast Iron Spun Pipe Manufacturers' Association, Kolkata.
16. Chandigarh Industrial Fasteners Association, Chandigarh
17. Cold Rolled Steel Manufacturers' Association of India, New Delhi.
18. Confederation of Indian Industry, New Delhi
19. Council of Small Scale Industries Corporation of India, New Delhi.
20. Engineering Exports Promotion Council, New Delhi
21. Federation of Association of Small Industries of India, New Delhi.
22. Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, New Delhi.
23. Federation of Industries of India, Delhi.
24. Howrah Foundry Association, Howrah.
25. Indian Chamber of Commerce, Kolkata
26. Indian Ferro Alloy Producers' Association, Mumbai.
27. Indian Foundry Association, Kolkata.
28. Indian Stainless Steel Development Association, Gurgaon
29. Indian Tin Plate Manufacturers' Association, New Delhi.
30. Iron and Steel Scrap Shipbreakers Association of India, Mumbai.
31. Institute for Steel Development and Growth, Kolkata
32. Larsen & Toubro Limited, Chennai.
33. Merchant Chamber of Commerce, Kolkata
34. Metal Scrap Trading Corporation Limited, Kolkata.
35. Mumbai Bright Bar Manufacturers Association, Mumbai



36. National Cooperative Housing Federation, New Delhi.
37. Ship Recycling Industries Association (India), Bhavnagar
38. Small Scale Wire Drawing Units Association, Mumbai
39. Society for Indian Automobiles Association, New Delhi
40. Sponge Iron Manufacturers' Association, New Delhi.
41. Steel Chamber of India, Mumbai.
42. Steel Furnace Association of India, New Delhi.
43. Steel Re-Rolling Mills Association of India, Kolkata.
44. Steel Wire Manufacturers' Association of India, Kolkata.
45. The Ludhiana Electroplaters Association, Ludhiana.
46. United Cycles & Parts Manufacturers Association, Ludhiana

3. In addition to the above, there may be two non-official Members of the SCC as Representatives of steel consumers from each State and one representative from each Union Territory who will be nominated by the Hon'ble Minister of Steel, Mines and Labour & Employment.

4. A total of 10 representatives from prominent media persons and experts may also be nominated by Hon'ble Minister of Steel, Mines and Labour & Employment, as non - official members.

5. The Council shall continue till its Chairman holds the office of the Minister of Steel or two years from the date of this Resolution whichever is earlier unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

#### ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI  
Joint Secretary